सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

ऑपरेशन दृष्टि

प्रेस नोट- दिनांक 23.02.2024

पेट्रोल पम्प के कैशबॉक्स से नकदी चोरी करने वाले अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,

कब्जे से चोरी किये गये 40,550/- रूपये व चोरी में प्रयुक्त कार की गयी बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में *थाना बसरेहर* पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 12.02.2024 को वादी रामबहादुर पुत्र श्यामसुंदर मैनेजर फिलिंग पेट्रोल पम्प बसरेहर जनपद इटावा द्वारा थाना बसरेहर पर 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोविल आयल खरीदने के बहाने कैश बॉक्स से 83,600/- रूपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी। **सूचना पर तत्काल थाना बसरेहर पर मु0अ0सं0 12/2024 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वाँछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में ऑपरेशन दृष्टि के तहत जनपद में लगाये कैमरों की सीसीटीवी फुटेज को चैक किया जा रहा था जिसमें अभियुक्तों की कार फुटेज में आयी। इसी के क्रम में दिनांक 22/23.02.2024 की रात्रि को थाना बसरेहर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि पेट्रोल पम्प के कैश बॉक्स से रूपयों को चोरी करने वाले अभियुक्त सैफई से लोहिया पुल की ओर आ रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना बसरेहर पुलिस टीम द्वारा **VERNA गाड़ी संख्या HR01 AU0696 को चालक सहित लोहिया नहर पुल के पास से समय 01.30 बजे गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

पकड़े गये अभियुक्त की पुलिस टीम द्वारा तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 40,550/- रूपये नकद बरामद किये गये बरामद रूपयों के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि यह पैसे मैंने व मेरे अन्य साथी अरूण और रिंकू ने मिलकर दिनांक 12.02.2024 को बसरेहर स्थित पेट्रोल पम्प से चोरी करके जिन्हें हम लोग गाड़ी से पंजाब चले गये थे तथा अपने साथियों को पंजाब छोड़कर आज मैं वापस गोरखपुर जा रहा था।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध मे थाना बसरेहर पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 12/2024 धारा 380 भादवि मे धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी है एवं कार को एमवीएक्ट की धारा 207 में सीज किया गया।

नाम/पता अभियुक्त-

01. फकीर चन्द्र उर्फ शिवा पुत्र करमचन्द्र निवासी रामनगर उर्फ जटवाली जिला फजलका पंजाब उम्र 24 वर्ष जाति बाबरिया।

बरामदगीः-

1. 40,550/- रूपये नकद
2. VERNA **कार (संख्या HR01 AU0696)**

पंजीकृत अभियोगः-

01.मु0अ0सं0 12/2024 धारा 380/411 भादवि थाना बसरेहर जनपद इटावा।

पुलिस टीमः- उ0नि0 श्री कपिल चौधरी थानाध्यक्ष बसरेहर, उ0नि0 उमेश कुमार, उ0नि0 राजेन्द्र सिंह, का0 अवनीश कुमार, का0 शुभम, का0 चालक उपेन्द्र शर्मा।